न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 22 / 2014
प्रविष्टि दिनांकः– 01–12–2015

मदनलाल पि.मु. श्रीकिशन जाट जाति जाट निवासी ग्राम पथराजकंला तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

.... आवेदक

बनाम

1.रतन पुत्र अमरा जाति जाट निवासी पथराजकंला तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2–भू आवंटन सलाहकार समिति, केम्प भांवता तहसील टोडारायसिंह जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

..........प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970 विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2010

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन / शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री जुगनु शर्मा राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

निर्णय

दिनांक 09–02–2018

1– संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सार इस प्रकार है कि भू–आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प भांवता तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 21–12–2010 को अप्रार्थी संख्या 1 रतन पुत्र अमरा जाति जाट निवासी पथराजकंला तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 0.20 हे0 वाके ग्राम पथराजकंला का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है जिसे आवेदक ने आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3– प्रार्थी (आवेदक) द्वारा दस्तावेजात में प्रतिलिपी पत्रावली आवण्टन 21.12.2010, नकल राजीनामा, नक्शाट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072, मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत 2057–2060 प्रस्तुत की है।

4– अप्रार्थी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा दिनांक 03.03.2016 को की गई। अभिभाषक आवेदक व राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 को सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटित भूमि खाली है या नहीं जिसकी कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई, आवंटन से पूर्व ही उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के समीपस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

स्थित होने से यह भूमि स्माल आफ लेण्ड की तारीफ में आने से केवल आवेदक उक्त भूमि का नियमन/खातेदारी प्राप्त करने का हकदार था उसके बावजूद मौके के विपरीत जाकर अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया, आवेदक को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया और न ही उक्त भूमि को आवंटन करने बाबत कोई उदघोषणा ही जारी की गई, न ही भूमि की सूची तैयार करवायी गई। विपक्षी का कभी भी इस जमीन पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि के संबंध में स्वयं विपक्षी ने आवेदक के पक्ष में एक इकरारनामा बतोर राजीनामा दिनांक 29.07.2015 को नोटेरी से तस्दीक करा कर आवेदक को दे रखा है, उक्त भूमि मौके पर आवेदक की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 233 में मिली हुई भूमि है और मोके पर एक खेत बना हुआ है तथा चारों ओर मेडबन्दी हो रखी है, सेटलमेंट के दौरान उक्त आवंटन शुदा भूम को सिवायचक करदी गई थी इसी का फायदा उठाकर विपक्षी ने उक्त भूमि का आवंटन अपने हक में गलत रूप से करवाया गया, आवंटन नियमों के अनुसार वर्ष में 1/50 भूमि एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना जैनी आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। इन सभी तथ्यों से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

5— विद्वान राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं02 की और से दोराने बहस कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन अप्रार्थी के हक में किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे।

6— हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू–आवण्टन सलाहकार समिति ने केम्प भांवता तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 21–12–2010 को अप्रार्थी संख्या 1 रमन पुत्र अमरा जाति जाट निवासी पथराजकंला तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 0.20 हे0 वाके ग्राम भांवता का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। आवेदक ने अपने आवेदन के बिन्दू सं0 2 में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही उसका कब्जा चला आ रहा है किन्तु इस संबंध में जो जमाबन्दी पेश की गई है वह आवंटन के बाद की प्रस्तुत की है आवंटन से पूर्व की नहीं। इसका तात्पर्य है कि आवंटन से पूर्व आवंटन के समय भूमि खाली व सिवायचक ही थी जो आवंटन योग्य थी। आवेदक का यह कथन कि आवेदक को उक्त भूमि से कभी बेदखल नहीं किया गया, जब आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं था तो बेदखली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विपक्षी आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा इस संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है, भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। आवंटन समिति द्वारा आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लामेशन जारी नहीं किया। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 21–12–2010 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सिद्व नहीं है। जहां तक उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। यदि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक